न्यायालय–देवेश मिश्रा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला–दतिया (म0प्र0)
(निर्णय दिनांक–09.03.2026)

Reg. No. SCNIA/118/2023
Filing No - SCNIA/4026/2023
C.N.R No- MP3201004802/2023
Filing Date-06.09.20222

(अपराध विवरण और पुलिस थाने का विवरण)

परिवादी	भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा एडीबी, दतिया
प्रतिनिधित्व द्वारा	**श्री अरविंद त्रिपाठी** अधिवक्ता।
अभियुक्त	हेमेन्द्र अहिरवार पिता धनीराम अहिरवार, उम्र करीब–37 वर्ष, निवासी–छल्लापुरा भांडेरी फाटक, जिला दतिया,
प्रतिनिधित्व द्वारा	**श्री राजीव सिंह चौहान** अधिवक्ता।

अपराध की तिथि	22.08.2022
परिवाद प्रस्तुत करने की तिथि	06.09.2022
अपराध विशिष्टियां पढ़कर सुनाए जाने की तिथि	09.04.2022
साक्ष्य प्रारंभ किए जाने की तिथि	16.05.2205
निर्णय की तिथि	09.03.2026
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तिथि	कुछ नहीं।

निर्णय

1. अभियुक्त पर परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (एतस्मिन पश्चात ''एन.आई.एक्ट'') की धारा 138 के अंतर्गत आरोप है कि उसके द्वारा परिवादी स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा एडीबी. दतिया को अपने विधिक दायित्व के उन्मोचन हेतु चेक क्र0 ''320227'' दिनांक 03.08.2022 राशि 2,92,000/–(दो लाख बानवे हजार रूपये) बैंक 'स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया' शाखा आनंद टॉकीज रोड दतिया का भुगतान हेतु परिदत्त किया गया था, जो बैंक द्वारा अभियुक्त के खाते में अपर्याप्त निधि होने से अनादरित होकर परिवादी को वापस प्राप्त हुआ था, जिसके संबंध में परिवादी द्वारा प्रेषित सूचना प्राप्त होने के बावजूद विहित समयावधि में उक्त चेक राशि का भुगतान उसके द्वारा नहीं किया गया।

2. परिवादी का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी बैंक शाखा एडीबी. जिला दतिया की ओर से परिवादपत्र तत्कालीन शाखा

प्रबंधक शरद कुमार सोलंकी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण के प्रचलन के दौरान उक्त शाखा प्रबंधक का स्थानांतरण हो जाने से नवीन उप शाखा प्रबंधक सोनल कुमार गुप्ता अधिकृत होने से उनकी ओर से साक्ष्य का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। परिवादपत्र में आगे यह कथन है कि परिवादी बैंक से टैक्सी हेतु लोन अभियुक्त द्वारा ऋण खाता संख्या– 39650213704 पर 2,85,000/–रूपये का दिनांक–10.09.2020 को प्राप्त किया गया था और मासिक किस्तों के आधार पर चुकाना तय हुआ था। जब किस्तें समय पर अदा नहीं की गईं तब अभियुक्त को किस्तें अदा करने को कहा गया तो बतौर सुरक्षा परिवादी बैंक के पास जमा प्रश्नगत चेक दिनांक–03.08.2022 क्रमांक–320227 राशि 2,92,000/– अभियुक्त ने ऋण समायोजन हेतु बैंक में लगाने को कहा जो दिनांक–03.08.2022 को बैंक में प्रस्तुत होने पर उक्त चेक अनादृत हो गया जिसकी सूचना उसी दिन परिवादी बैंक को प्राप्त होने पर अधिवक्ता के माध्यम से पंजीकृत सूचनापत्र दिनांक–04.08.2022 अभियुक्त को प्रेषित किया गया। उक्त सूचनापत्र प्राप्त होने के बाद भी विहित समयावधि के भीतर उक्त चेक राशि का भुगतान नहीं किया गया है। इस कारण परिवादी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय में परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. अभियुक्त ने आरोपित धारा का अपराध करना अस्वीकार कर प्रतिरक्षा करना व्यक्त किया है। परिवादी साक्ष्य उपरांत न्यायालय द्वारा किए गए परीक्षण में अभियुक्त ने बताया है कि वह निर्दोष है उसे झूंठा फंसाया गया है। अभियुक्त ने परिवादी बैंक से उक्त ऋण खाता संख्या का ऋण 2,85,000/– दिनांक–10.09.2020 को लेना स्वीकार किया है, परंतु आगे यह बताया है कि खाली चेक परिवादी ने अभियुक्त से लिया था। यह भी स्वीकार किया है कि उसको अधिवक्ता के माध्यम से सूचनापत्र प्रदर्श पी–4 प्रेषित किया गया था। अभियुक्त ने यह भी बताया है कि 85,000/– रूपये और सब्सिडी बैंक में ही है।

4. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य अवधारणीय प्रश्न निम्नलिखित हैः–

(1) क्या अभियुक्त द्वारा परिवादी को विधि द्वारा प्रवर्तनीय किसी ऋण या अन्य दायित्व के उन्मोचन हेतु बैंक 'भारतीय स्टेट बैंक' शाखा आनंद टॉकीज रोड दतिया का उसके अनुरक्षित खाते से धन के संदाय हेतु चेक क्रमांक

''320227'' दिनांक 03.08.2022 को जारी किया गया था ?

(2) क्या अभियुक्त द्वारा जारी उक्त चेक परिवादी द्वारा विहित अवधि में उसके खाते में भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाने पर अभियुक्त के खाते में पर्याप्त निधि न होने के कारण अनादरित वापस किया गया ?

(3) क्या चेक धारक परिवादी द्वारा चेक अनादरण की सूचना प्राप्त होने की तिथि से 30 दिन की विहित अवधि के भीतर अभियुक्त को चेक राशि संदाय की मांग संबंधी वैधानिक सूचना पत्र निर्वाह किया गया ?

(4) क्या अभियुक्त द्वारा मांग सूचना पत्र निर्वहन के बावजूद चेक की राशि का संदाय 15 दिन की विहित समयावधि में परिवादी को करने में व्यतिक्रम किया गया ?

(5) क्या अभियुक्त द्वारा 15 दिन की कालावधि के अवसान उपरांत भी चेक राशि संदाय न किये जाने पर चेक धारक/परिवादी द्वारा एक माह की अवधि में अथवा उक्त कालावधि उपरांत न्यायालय द्वारा अनुज्ञात समय में लिखित परिवाद प्रस्तुत किया गया ?

(6) दोषसिद्धि एवं दंडादेश, यदि कोई हो?

सकारण निष्कर्ष

अवधारणीय बिन्दु क्रमांक–01 लगायत–06

5. सोनल कुमार गुप्ता प0सा0–1 ने शपथपत्रीय मुख्यपरीक्षण में परिवाद पत्र के अनुरूप ही कथन करते हुए बताया है कि परिवादी बैंक शाखा एडीबी. जिला दतिया की ओर से परिवादपत्र तत्कालीन शाखा प्रबंधक शरद कुमार सोलंकी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण के प्रचलन के दौरान उक्त शाखा प्रबंधक का स्थानांतरण हो जाने से नवीन उप शाखा प्रबंधक सोनल कुमार गुप्ता अधिकृत होने से उनकी ओर से साक्ष्य का शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। परिवादपत्र में आगे यह कथन है कि परिवादी बैंक से टैक्सी हेतु लोन अभियुक्त द्वारा ऋण खाता संख्या–39650213704 पर 2,85,000/–रूपये का दिनांक–10.09.2020 को प्राप्त किया गया था और मासिक किस्तों के आधार पर चुकाना तय हुआ था। जब किस्तें समय पर अदा नहीं की गईं तब अभियुक्त को किस्तें अदा करने को कहा गया तो बतौर सुरक्षा परिवादी बैंक के पास जमा

प्रश्नगत चेक दिनांक–03.08.2022 क्रमांक–320227 राशि 2,92,000/– अभियुक्त ने ऋण समायोजन हेतु बैंक में लगाने को कहा जो दिनांक–03.08.2022 को बैंक में प्रस्तुत होने पर उक्त चेक अनादृत हो गया जिसकी सूचना उसी दिन परिवादी बैंक को प्राप्त होने पर अधिवक्ता के माध्यम से पंजीकृत सूचनापत्र दिनांक–04.08.2022 अभियुक्त को प्रेषित किया गया। उक्त सूचनापत्र प्राप्त होने के बाद भी विहित समयावधि के भीतर उक्त चेक राशि का भुगतान नहीं किया गया है। इस प्रकार अभियुक्त ने धारा–138 एनआई. एक्ट के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया है।

6. परिवादी ने अपने पक्ष समर्थन में मूल चैक प्रदर्श पी–1, जमा पर्ची प्रदर्श पी–2, रिटर्न मेमो प्रदर्श पी–3, नोटिस प्रदर्श पी–4, डाक रसीद प्रदर्श पी–5 और सूचनापत्र अभियुक्त को प्राप्त हो जाने के संबंध में इण्टरनेट से प्राप्त प्रति पेश की है।

7. अपने प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह बताया है कि वह जुलाई, 2025 से स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एडीबी. शाखा में डिप्टी मैनेजर के पद पर कार्यरत् है। यह स्वीकार किया है कि ऋण अप्रूव करने का अधिकार मैनेजर को होता है। यह भी स्वीकार किया है कि उसके सामने या उसके द्वारा अभियुक्त की ऋण राशि स्वीकृत करने की कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। यह स्वीकार किया है कि लोन देते समय लोन लेने वाले के खाली चेक बैंक सुरक्षा के तौर पर रख लेता है। यह भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–4 के नोटिस में यह बात लेख है कि प्रश्नगत चेक सुरक्षा के तौर पर लिया गया था। यह भी स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–1 का चेक एक ही पेन से नहीं भरा होकर अलग–अलग पेन से भरा गया है। स्वतः कहा है कि लोन के समय खाली चेक लिया जाता है और अनादरण होने पर जब कोर्ट में केस लगाया जाता है तब तक की राशि स्वयं भरकर चेक लगाते हैं। यह स्वीकार किया है कि उसके समक्ष अभियुक्त ने प्रदर्श पी–1 के चेक पर हस्ताक्षर नहीं किये थे। यह भी स्वीकार किया है कि अभियुक्त द्वारा जो लोन लिया गया था और बैंक के फॉर्म और सभी दस्तावेज प्रकरण में पेश नहीं किये गये हैं। आगे बताया है कि चेक में जो राशि भरी गई है वह ब्याज सहित तत्कालीन दिनांक की राशि भरी गई है। इस बात से इंकार किया है कि वह असत्य कथन कर रहा है।

8. अभियुक्त की ओर से पृथक से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। परिवादी के मामले को परिवादी की ओर से प्रस्तुत सामग्री के

आधार पर ही चुनौती दी गई है।

9. अभिलेख पर आई उपरोक्त समस्त साक्ष्य का अवलोकन करें तो दर्शित है कि अभियुक्त ने चेक प्रदर्श पी–1 पर उसके हस्ताक्षर होने से स्पष्ट रूप से इंकार नहीं किया है। उक्त हस्ताक्षर वास्तव में उसके नहीं हैं इस संबंध में कोई विशेषज्ञ साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं की है। प्रश्नगत चेक उसके बैंक खाते का होने से इंकार नहीं किया है। प्रकरण की आदेश पत्रिकाओं में हस्ताक्षर से भी मिलान करें तो हस्ताक्षर एक समान होना दर्शित होते हैं। सोनल प.सा.–1 ने अभियुक्त के द्वारा प्रश्नगत चेक पर उसके समक्ष हस्ताक्षर न किया जाना स्वीकार किया है, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि साक्षी प्रश्नगत चेक पर अभियुक्त के हस्ताक्षर होने से इंकार करता है। चेक हस्ताक्षर कर प्रदान किया जाना आवश्यक है। यह आवश्यक नहीं है कि चेक पेयी के समक्ष ही हस्ताक्षरित किया जाए। उपरोक्त परिस्थिति में अभियुक्त की ओर से किसी विशेषज्ञ साक्ष्य के अभाव में चेक पर अभियुक्त के हस्ताक्षर होना और उक्त चेक उसके बैंक खाते का होना प्रमाणित पाया जाता है। उक्त चेक में पेयी के स्थान पर परिवादी बैंक का अभियुक्त का लोन खाता क्र. 39650213704 का उल्लेख है।

10. उपरोक्त साक्ष्य विश्लेषण के उपरांत जब चेक अभियुक्त के बैंक खाते का होना और उस पर अभियुक्त के हस्ताक्षर होना प्रमाणित है और चेक पर परिवादी संस्था में अभियुक्त के लोन खाते का उल्लेख है तब ऐसी परिस्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्याय दृष्टांत **कुमार एक्पोर्टस, मेसर्स शर्मा कॉरपेट्स, एआईआर 2009 एससी 1518, भारत बेरल एण्ड ड्रम मैनुफ्रेक्चरिंग कंपनी वि0 अमीर चंद्र प्यारेलाल, (1999) 3 एससीसी 35** में अभिनिर्धारित विधिक स्थिति के आलोक में अधिनियम की धारा 139 के तहत धारक के पक्ष में यह उपधारणा किया जाना उचित है कि चेक विधि द्वारा प्रवर्तनीय किसी ऋण या अन्य किसी दायित्व के पूर्णतः या अशंतः उन्मोचन के लिए ही प्राप्त किया गया था। साथ ही धारा 118 के तहत भी यह उपधारणा किया जाना उचित है कि चेक किसी प्रतिफल के लिए रचा या लिखा गया था।

11. चूंकि उपरोक्तानुसार परिवादी के पक्ष में यह उपधारणा ली गई कि आक्षेपित चेक प्रदर्श पी–1 परिवादी के पक्ष में विधि द्वारा प्रवर्तनीय किसी ऋण या दायित्व के उन्मोचन हेतु प्रतिफलार्थ रचा गया है तब

सबूत का प्रारंभिक भार अभियुक्त पर आ जाता है कि वह उक्त उपधारणाओं का खंडन कर इसके प्रतिकूल साबित करे। विधि द्वारा यह सुस्थापित है कि उक्त खंडन के लिए अभियुक्त के द्वारा प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है बल्कि संभावनाओं की प्रबलता पर्याप्त है। संभावनाओं की प्रबलता का अनुमान न केवल अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से लगाया जा सकता है बल्कि परिस्थितियों के संदर्भ से भी लगाया जा सकता है। यदि अभियुक्त प्रतिफल या दिए गए ऋण के अस्तित्व को शंकाप्रद या अवैध साबित करने में सफल रहता है तो सबूत का भार पुनः अंतरित होकर जो पहले अभियुक्त पर था वह परिवादी पर चला जाता है।

12. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण साक्ष्य का विश्लेषण करे तो दर्शित है कि अभियुक्त पक्ष की मुख्य प्रतिरक्षा यह है कि प्रश्नगत चेक बतौर सुरक्षा दिया गया कोरा चेक था। उक्त चेक में लिखी इबारत अभियुक्त ने स्वयं नहीं भरी है। परिवादी ने उक्त चेक पर स्वयं राशि और तारीख भरकर चैक बैंक में लगाया है। उक्त प्रतिरक्षा के आलोक में साक्ष्य का अवलोकन करें तो दर्शित है कि सोनल कुमार गुप्ता प.सा.–1 जो स्वयं को परिवादी बैंक में जुलाई, 2025 से डिप्टी मैनेजर के पद पर कार्यरत् होना बताते हैं, ने उक्त बैंक की ओर से अपनी साक्ष्य प्रस्तुत की और यह स्वीकार किया है कि लोन देते समय लोन लेने वाले के खाली चेक बैंक सुरक्षा के तौर पर रख लेता है। प्रतिपरीक्षण की कण्डिका–14 में यह भी स्वीकार किया है कि प्रश्नगत चेक एक पेन से नहीं बल्कि अलग–अलग पेन से भरा गया है। साक्षी ने आगे यह भी बताया है कि जो खाली चेक लोन के समय लिए जाते हैं वे अनादरण के समय जब कोर्ट में चेक लगाया जाता है वे तब तक की राशि स्वयं भरकर चेक लगाते हैं। साक्षी के उक्त स्वीकारोक्ति एवं किए गए कथनों से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत चेक प्रदर्श पी–1 ऋण लेते समय कोरा अर्थात खाली स्वरूप में परिवादी बैंक को दिया गया था, जिस पर हस्ताक्षर के अलावा शेष इबारत परिवादी बैंक द्वारा स्वयं अपने प्रतिनिधि के माध्यम से भरी गई है।

13. अब विचार योग्य प्रश्न यह है कि क्या बतौर सुरक्षा दिया गया कोरा चेक जिस पर इबारत स्वयं अभियुक्त द्वारा भरी नहीं गई है, धारा–138 एन.आई.एक्ट के अंतर्गत दायित्व निर्मित करता है? **एन आई. एक्ट की धारा 20** यह प्रावधान करती है कि यदि कोई खाताधारक

अपने खाते का कोरा चैक भी किसी अन्य व्यक्ति को देता है तो वह उसे चैक के साथ यह अधिकार भी देता है कि चैक का धारक उसकी अपूर्ण प्रविष्टियों को पूर्ण कर ले। इसलिए उक्त प्रावधान के आलोक में यदि अन्य भाग की लिखावट परिवादी द्वारा स्वयं ही भर ली गई है, तब भी उक्त तर्क से अभियुक्त को कोई सहायता प्राप्त नही होती है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टांत **ओरियण्टल बैंक ऑफ कामर्स वि0 प्रमोद कुमार तिवारी, 2022 लाईव लॉ (एस.सी.) 714** में प्रतिपादित विधिक स्थिति से भी सहायता प्राप्त होती है।

14. अभियुक्त की यह प्रतिरक्षा है कि उक्त प्रश्नगत चेक ऋण की देयता स्वीकार करते हुए न देकर बल्कि बतौर सुरक्षा दिया गया था और जब उक्त चेक दिया गया था तब ऋण की देनदारी नहीं थी इस कारण अभियुक्त का धारा–138 एनआई एक्ट के अंतर्गत दायित्व निर्मित नहीं होता है। उक्त संबंध में साक्ष्य का अवलोकन करें तो दर्शित है कि सोनल कुमार गुप्ता अ.सा. 1 ने इस संबंध में स्पष्ट कथन दिए हैं कि लोन देते समय प्रश्नगत चैक सुरक्षा के तौर पर लिए गए थे। अर्थात जब प्रश्नगत चैक अभियुक्त से लिया गया था तब तक अभियुक्त के पक्ष में लोन स्वीकृत किया जा चुका था।

15. उक्त परिस्थिति में न्यायदृष्टांत **Sampelly Satyanarayana Rao Vs Indian Renewable Energy Development Agency Limited, 2016 Supreme (SC) 730** अवलोकनीय है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि लिए गए ऋण के स्वीकृत होते ही उसका पुनर्भुगतान की देनदारी बन जाती है और प्रश्नगत चैक की दिनांक तक यदि उक्त देनदारी बन चुकी है तब ऐसे चैक का अनादरण एनआईए एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत दायित्व निर्मित करता है। उपरोक्त मामले में अपीलार्थी की ओर से जिन न्यायदृष्टांतों पर भरोसा किया गया था उनमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह पाया था कि उक्त न्यायदृष्टांत में बतौर सुरक्षा दी गई चैक एडवांस राशि के तौर पर दी गई थी उसका आशय दायित्व के उन्मोचन का नहीं था इस कारण धारा–138 के अंतर्गत दायित्व निर्मित नहीं माना गया था, परंतु अपीलार्थी के मामले में बतौर सुरक्षा दी गई चेक ऋण की अदायगी के संबंध में थी इसलिए धारा–138 एनआई एक्ट के अंतर्गत दायित्व माना गया और अपील खारिज की गई थी।

16. हस्तगत मामले में भी देखा जाए तो प्रश्नगत चेक दिनांक–03.08.2022 प्राप्त करने के पूर्व ऋण स्वीकृत हो चुका था तब ऐसी स्थिति में ऋण की देयता अस्तित्व में होने से प्रश्नगत चेक ऋण की देयता के उन्मोचन हेतु ही दिया जाना दर्शित होता है। हालांकि हस्तगत मामले में ऋण 2,85,000/– रूपए का लिया गया था जबकि प्रश्नगत चेक 2,92,000/– रूपए की राशि से संबंधित है।

17. अब विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या प्रश्नगत चेक में वर्णित राशि 2,92,000/– की देनदारी के उन्मोचन हेतु दिया गया था? अभियुक्त ने सोनल प.सा.–1 के प्रतिपरीक्षण में यही चुनौती दी है कि अभियुक्त के लोन से संबंधित कोई फॉर्म या दस्तावेज प्रकरण में पेश नहीं किये गये हैं और साक्षी ने उक्त बात स्वीकार भी की है। साक्षी से प्रश्नगत चेक में भरी राशि किस संबंध में है, पूछने पर साक्षी ने ब्याज सहित तत्कालीन दिनांक की राशि होना बताया है। अभियुक्त की ओर से चुनौती दी जाने पर साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि प्रश्नगत चेक स्वयं भरकर लगाया है। उपरोक्त परिस्थिति में परिवादी पर यह मूल भार आ जाता है कि वह युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करें कि प्रश्नगत चेक उसमें वर्णित राशि की देयता हेतु ही जारी किया गया था। अपने शपथपत्रीय मुख्य परीक्षण में सोनल प.सा.–1 ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि जब ऋण 2,85,000/– रूपए का लिया गया था तो प्रश्नगत चेक 2,92,000/– रूपए के समायोजन हेतु क्यों दी गई थी। अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका–15 में बताया है कि उक्त राशि ब्याज सहित तत्कालीन दिनांक अर्थात 03.08.2022 की भरी है। परिवादी ने जब ऋण खाता संख्या 39650213704 पर दिनांक–10.09.2020 को अभियुक्त के पक्ष में ऋण दिया जाना बताया है और प्रतिपरीक्षण में कण्डिका–15 में उक्त लोन संबंधी दस्तावेजों का अस्तित्व में होना भी स्वीकार किया है तब भले ही अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्त ने 2,85,000/– रूपए का ऋण लेना स्वीकार किया है, परंतु 2,92,000/– रूपए किस प्रकार बन रहे थे यह परिवादी को उक्त दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत कर प्रमाणित करना था। क्योंकि प्रश्नगत चेक 2,85,000/– रूपए के ऋण के संबंध में नहीं बल्कि उससे अधिक राशि से संबंधित है।

18. प्रकरण में उपरोक्त परिस्थिति में न्यायदृष्टांत **K.B. Raju Vs K. Asokan, 2025 Supreme(Mad) 3049** एवं **Sami Labs**

Limited Vs Mr. M.V. Joseph, S/o. M.S. Varkey 2019 Supreme(Kar) 453 अवलोकनीय है जिसमें क्रमशः माननीय मद्रास उच्च न्यायालय एवं कर्नाटक उच्च न्यायालय ने न्यायदृष्टांत **Sampelly Satyanarayana (Supra)** पर भरोसा करते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि चेक राशि यदि आउट स्टैंडिंग राशि से अधिक है और उक्त अधिक राशि किसी ब्याज, कॉस्ट, पैनाल्टी आदि को लेकर नहीं है, बल्कि अस्पष्ट है तब एनआई एक्ट की धारा–138 आकृष्ट नहीं होते हैं। **K.B. Raju (Supra)** की कण्डिका–17 एवं 18 अवलोकनीय है–

> 17. The learned Judicial Magistrate, in the judgment, which is impugned in this Appeal, placed reliance on the decision of this Court in Acq. D.C.C. 801 The Negotiable Instruments Act, 1881, Section 138 wherein it was held that if the cheque is more than the amount of the debt due, Section 138 cannot be attracted. In this case, the borrowed amount was Rs.2 lakhs, but the cheque was obtained for Rs.4 lakhs. The Complainant, in his complaint as well as in his deposition as P.W-1 had not explained how the Respondent is liable to pay Rs.4 lakhs, what was the interest component, the period for which interest is paid etc., Under those circumstances, the Judgment of the learned Judicial Magistrate, Fast Track Court, Vellore is found proper. This Appeal lacks merits and is to be dismissed.
>
> 18. In the light of the above discussion, the point for consideration is answered in favour of the Respondent/Accused and against the Appellant /Complainant. The Judgment of the learned Judicial Magistrate, Fast Track Court, Vellore in C.C. No. 765 of 2011, dated 30.07.2012 is found proper and the same is to be confirmed.

19. उक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि उपरोक्त न्यायदृष्टांत में

माननीय न्यायालयों ने यह अभिनिर्धारित किया है कि चेक राशि यदि ऋण राशि से अधिक है और उक्त अधिक राशि स्पष्ट नहीं की गई है तो एनआई एक्ट की धारा–138 आकृष्ट नहीं होते हैं। न्यायदृष्टांत **K.B. Raju (Supra)** में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने यह पाया कि परिवादी ने अपने परिवादपत्र एवं अपनी साक्ष्य दोनों में ही यह स्पष्ट नहीं किया कि अभियुक्त की 4 लाख रूपए के प्रति देयता किस प्रकार बनती थी, कितना ब्याज था, किस अवधि का ब्याज चुका दिया गया था, किस अवधि का शेष था आदि। उपरोक्त परिस्थितियों में विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट का निर्णय उचित पाया गया था और अपील खारिज की गई थी।

20. हस्तगत मामले में देखें तो परिवादी के प्रतिपरीक्षण की कण्डिका–15 में किये गये कथनानुसार यदि उक्त राशि 2,92,000/– रूपए मूलधन 2,85,000/– रूपए और उस पर दिनांक–03.08.2022 तक के ब्याज सहित जोड़कर होती है और उक्त राशि कुल–2,92,000/– रूपए की देयता के संबंध में प्रश्नगत चेक परिवादी को दिया गया था तो अभियुक्त के ऋण खाता का वह स्टेटमेंट जिसमें उक्त ब्याज सहित 2,92,000/– रूपए की राशि दर्शित होती है, प्रस्तुत करना अपेक्षित था। परिवादी ने ऐसे कोई दस्तावेज पेश न करना स्वीकार किया है। परिवादी पर सबूत का यह प्रारंभिक भार था कि वह अपनी साक्ष्य के माध्यम से यह प्रमाणित करे कि प्रश्नगत चेक में वर्णित राशि की देयता हेतु उक्त प्रश्नगत चेक अभियुक्त द्वारा दी गई थी, परंतु अभियुक्त की ओर से लोन संबंधी दस्तावेजों की अपेक्षा करने के बावजूद परिवादी द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत न करना अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका–15 अनुसार ब्याज सहित राशि के संबंध में कोई प्रमाण पेश न करना, कितना ब्याज कितनी दर से और कितनी अवधि तक प्रश्नगत चेक में वर्णित राशि में जोड़ा गया था यह भी स्पष्ट न करना अभियुक्त की ओर से परिवादी के पक्ष में ली गई उपधारणा अंतर्गत एनआई एक्ट की धारा 118 एवं 139 का खण्डन करने हेतु पर्याप्त है। अभियुक्त की ओर से कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य दिया जाना अपेक्षित नहीं है बल्कि संभावनाओं की प्रबलता के आधार पर परिवादी द्वारा कथित ऋण अदायगी का अस्तित्व शंकाप्रद कर देना मात्र पर्याप्त है, जो उपरोक्त परिस्थिति में परिवादी की ओर से किसी दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में संदेहप्रद होना पाया जाता है।

21. उल्लेखनीय है कि सोनल प.सा.–1 ने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका–14 में यह स्वीकार किया है कि लोन के समय लिया गया खाली चेक स्वयं राशि भरकर लगाते हैं। उक्त परिस्थिति में परिवादी से यह अपेक्षा किया जाना न्यायसंगत है कि वह उक्त भरी गई राशि की देयता अपनी सर्वोत्तम साक्ष्य प्रस्तुत कर प्रमाणित करें जो परिवादी द्वारा नहीं की गई है।

22. धारा–138 एनआई. एक्ट के अंतर्गत देयता तभी बनती है जब प्रश्नगत चेक विधिक ऋण या दायित्व के उन्मोचन हेतु दिया गया था। प्रकरण परिस्थिति में अधिनियम की **धारा 138** का अवलोकन आवश्यक हो जाता है। उक्त प्रावधान अनुसार– *''जहां* ***किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्णतः या भागतः उन्मोचन के लिए किसी बैंककार के पास अपने द्वारा रखे गए खाते में से किसी अन्य व्यक्ति को किसी धनराशि के संदाय के लिए लिखा गया कोई चैक*** *बैक द्वारा संदाय किए बिना या तो इस कारण लौटा दिया जाता है कि उस खाते में जमा धनराशि उस चैक का आदरण करने के लिए अपर्याप्त है या उस रकम से अधिक है जिसका बैंक के साथ किए गए करार द्वारा उस खाते में से संदाय करने का ठहराव किया गय है, वहां ऐसे व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अपराध किया है और वह इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्मान से, जो चैक की रकम का दुगना तक हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।''* उक्त प्रावधान के आगे परंन्तुक भी दिया गया है, परंतु वह अतिरिक्त में है जो उपरोक्त प्रावधान में वर्णित आवश्यकताओं की पूर्ति होने पर ही लागू होगा। उपरोक्त प्रावधान के साथ भी स्पष्टीकरण दिया गया है कि उक्त धारा के प्रयोजनार्थ ''ऋण अथवा अन्य दायित्व'' से अभिप्राय विधितया प्रवर्तनीय ऋण अथवा अन्य दायित्वों से है।

23. चूंकि उपरोक्त संपूर्ण विश्लेषण उपरांत यह पाया गया है कि परिवादी यह साबित नहीं कर सका है कि चेक दिनांक–03.08.2022 को अभियुक्त पर प्रश्नगत चेक में वर्णित राशि 2,92,000/– रूपये की देयता थी तब ऐसी स्थिति में प्रश्नगत चेक पर अभियुक्त के हस्ताक्षर और उक्त चेक अभियुक्त के बैंक खाते का होने के बाद भी उक्त 2,92,000/– रूपये की विधिक देयता के उन्मोचन में दिया जाना प्रमाणित

नहीं होता है। इस प्रकार अभियुक्त संभावनाओं की प्रबलता के आधार पर परिवादी के पक्ष में ली गई उपधारणा का खण्डन करने में सफल रहा है।

24. उपरोक्त कारणों से यह तथ्य युक्तियुक्त संदेह से परे साबित नहीं होता है कि परिवादी ने अभियुक्त से आक्षेपित चेक प्रदर्श पी–1 विधि द्वारा प्रवर्तनीय ऋण या अन्य दायित्व के पूर्णतः या अंशतः उन्मोचन हेतु प्राप्त की थी।

25. जब अधिनियम की धारा 138 की मूलभूत अपेक्षा अनुसार प्रश्नगत चैक परिवादी द्वारा उसके किसी विधिक ऋण या दायित्व के उन्मोचन हेतु प्राप्त किया जाना ही प्रमाणित नही है, तब परंतुक (क), (ख) व (ग) तथा धारा 142 के संबंध में निर्मित अवधारणीय बिंदु क्र0 2 लगायत 5 पर विचार किया जाना अप्रासंगिक हो जाता है।

26. उपरोक्त समस्त विवेचना के आधार पर यह स्पष्ट है कि परिवादी युक्तियुक्त संदेह से परे यह साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त पर परिवादी के प्रति प्रश्नगत चेक में वर्णित 2,92,000/– रूपये की विधिक देयता स्वीकार करते हुए उक्त ऋण से संबंधित दायित्व के उन्मोचन हेतु उसके 'भारतीय स्टेट बैंक' शाखा आनंद टॉकीज दतिया में संधारित किए जा रहे बैंक खाते की चेक प्रदर्श पी–1 दिनांक–03.08.2022 परिवादी को दी थी। अतः अभियुक्त द्वारा एनआई. एक्ट की धारा 138 के अधीन दंडनीय अपराध कारित किया जाना **नासाबित** पाया जाता है।

27. परिणामस्वरूप अभियुक्त हेमेन्द्र अहिरवार को धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के आरोप में **दोषमुक्त** किया जाता है।

28. अभियुक्त के समस्त प्रतिभूति पत्र भारमुक्त और बंधपत्र निरस्त किए जाते हैं।

29. अभियुक्त विचारण के दौरान एक भी दिन अभिरक्षा में नहीं रहा है। तद्नुसार धारा 428 दंप्रसं. के अधीन प्रमाण पत्र तैयार किया जाए।

निर्णय आज दिनांक को हस्ताक्षरित कर मेरे द्वारा खुले न्यायालय में घोषित किया गया एवं मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

सही/–

स्थानः दतिया
दिनांकः 09.03.2026

(देवेश मिश्रा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
दतिया, म.प्र.

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी / अभिरक्षा की तिथि	जमानत पर रिहा किए जाने की तिथि	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दण्डादेश	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 द.प्र.सं. के प्रयोजनाथ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध अवधि
1.	हेमेन्द्र अहिरवार पिता धनीराम	18.12.2024	18.12.2024	धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881	**दोषमुक्त**	कुछ नहीं	कुछ नहीं।

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क. अभियोजन / परिवादी :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
प.सा.–1	सोनल कुमार गुप्ता	परिवादी

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन प्रदर्शो की सूची

क. अभियोजन / परिवादी :–

स. क.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्रदर्श पी–1 / प.सा.–1	प्रश्नगत चैक असल
2.	प्रदर्श पी–2 / प.सा.–1	जमा पर्ची
3.	प्रदर्श पी–3 / प.सा.–1	रिटर्न मेमो
4.	प्रदर्श पी–4 / प.सा.–1	अधिवक्ता के माध्यम से प्रेषित सूचना
5.	प्रदर्श पी–5 / प.सा.–1	डाक रसीद

सही / –

स्थानः दतिया
दिनांकः 09.03.2026

(देवेश मिश्रा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
दतिया, म.प्र.

मेरे द्वारा टंकित– लोकेन्द्र जोशी, स्टेनोग्राफर

DEVESH MISHRA
Digitally signed by DEVESH MISHRA
Date: 2026.03.09 18:52:21 +0530